

# फर्द अहकाम

( नियम 26 )

प्रशासन गाँवों के संग  
अभियान-2021

A2

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, चित्तौड़गढ़ (राज.)

श्री भुवानी सिंह बनाम श्री गजोति दे

वाही अन्तर्गत 128 प्लॉट

मुकदमा प्रार्थना पत्र नं. 204 सन् 2021

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
-------------	------------------------------------	---

01/11/2021

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 प्लॉट बार जांच प्रस्तुत हुआ। दस्तावेजों की जांच के बाद पता जुजर सिंह राजपूत निवासी बस्सी नै गाँव, नेगोडियारखुर्द प.सं. घोंसुड़ी की आराजी संख्या 962, 963, 968, 969, 970, 1008, 1009, 1010 कीता 8 कुल रकबा 3.1400 हे० की पत्थरगटी कराने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है। गाँव नेगोडियारखुर्द की नकल जमाबन्दी संवत् 2071-2074 अनुसार उक्त आराजीयत भूदान यज्ञ बोर्ड सेवतेदार श्री भुवानी सिंह पिता जुजर सिंह सा. बस्सी कृषक दर्ज रैकाडे हैं। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर गाँव नेगोडियारखुर्द प.सं. घोंसुड़ी स्थित आराजी संख्या 962, 963, 968, 969, 970, 1008, 1009, 1010 कीता 8 कुल रकबा 3.1400 हे० की भूमि की बिना किसी के कब्जे में दरबलन्दगी किए सेटलमेन्ट नम्बरो अनुसार पत्थरगटी किए जाने के आदेश दिए जाते हैं। कमिश्नर शुल्क 1500.00 रुपए अथवा एक हजार पाँच सौ रुपए प्रार्थी वहन करेगा। पालनार्थ सहयोगदार बस्सी को लिखा जावे कि पत्रकारिता को लिखित सूचना देकर नियमानुसार पत्थरगटी की जावे एवं पालना रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत करें। पत्रावली कैलकुलेशन शुमार होकर नम्बर से कम हो।

ता. की 66  
01/11/2021

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)  
सहायक कलेक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी  
चित्तौड़गढ़ (राज.)

